

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[भर्ती प्रकोष्ठ / RECRUITMENT CEL]

फ.सं./No.F 2-24/2023-Estt. (RCT)स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

Ansari Nagar, New Delhi-29

दिनांक/Dated

10 2 NOV 2023

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में हैड बैरर के पद पर पदोन्नति।

Subject:- Promotion to the post of Head Bearer at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 17.10.2023 को हैड बैरर के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणाम स्वरूप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित मसालची बैरर ग्रेड-I को पदभार ग्रहण करने की तिथि से हैड बैरर पद पर वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल -2 पर पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Head Bearer held on 17.10.2023 and its acceptance by the Competent Authority, the following Masalchi Bearer Grade-I are promoted to the post of Head Bearer in Level-2 in the pay matrix from the date they assume the charge of the post of Head Bearer.

| Sr. No. | Name of Employee | Category | Considered against the Category | Department/Section |
|---------|-------------------|----------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | Sh. A. Raju | UR | UR | Hospital |
| 2 | Sh. Chandan Singh | UR | UR | Hospital |

श्री ए. राजू की वरिष्ठता हैड बैरर के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की तिथि अर्थात् 17.10.2023 से प्रभावी होगी जबकि श्री चन्दन सिंह की वरिष्ठता हैड बैरर के पद पर रिक्त होने की तिथि अर्थात् दिनांक 01.11.2023 से प्रभावी होगी।

The seniority of Shri A. Raju to the post of Head Bearer will be effective from the date of Departmental Promotion Committee i.e 17.10.2023. However, the seniority of Shri Chandan Singh to the post of Head Bearer will be effective from the date of availability/occurrence of vacancy i.e. 01.11.2023.

वे सब हैड बैरर का पदभार ग्रहण करने की तिथि से दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई., बाढसा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लबगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

They shall be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Ballabgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad and NCI, Jhajjar, and at any other Centre opened by the Institute in future, from the date they assume the charge to the post of Head Bearer.

उन्हे यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ. आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बशर्ते उन्हे आंशोद्धित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तितवृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22 (1) either from the date of their promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided if they have not been granted financial up gradation under ACP/MACP Scheme, prior to this promotion.

जारी/Condt..2/-

उनकी सेवाएं वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र (गाजियाबाद), एन.सी.आई, बाढसा, झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी अन्य केंद्र में स्थानांतरणीय हैं। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है।

There services are transferable to the other centre facilities presently located at Ballabhgarh (Haryana), National drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Badsa, Jhajjar and at any other Centre/facilities which may come up in future. They can be asked to perform duties in shifts also.

यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामले के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू है, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.



(विश्वेश चतुर्वेदी / VISHWESH CHATURVEDI)

प्रशासनिक अधिकारी/ADMINISTRATIVE OFFICER

संबंधित व्यक्ति/ The persons concerned

द्वारा/Thr.:- प्रभारी अधिकारी, विभाग मेन किचन, अस्प. / Officer-in-charge, Deptt. of Dietetics

प्रतिलिपि:

1. चिकित्सा अधीक्षक / Medical Superintendent
2. प्रभारी अधिकारी, आहार विभाग. / Officer-in-charge, Deptt. of Dietetics, Hospital
3. मुख्य आहार विशेषज्ञ, अस्पताल/ Chief Dietician, Hospital
4. प्रशासनिक अधिकारी, अस्प. / The Administrative Officer (Hospital)
5. स्थापना अनुभाग अस्प. / Establishment Section (Hospital)
6. लेखा विभाग - II एवं III / Accounts Section - II & III
7. जी.पी.एफ./संपदा विभाग/सामान्य विभाग/ ए.सी.आर सेल/ई.एच. स.
GPF Section/General Section/Estate Section/ACR Cell/EHS
8. एस.सी./एस.टी विभाग/सतर्कता विभाग/लीगल सेल
SC/ST Cell/Vigilance Cell/Legal Cell
9. प्रो. इन्चार्ज- कम्प्यूटर विभाग - कृपया इसे संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करें।
Professor In Charge - Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website.
10. संबंधित सहायक / Dealing Assistant - डाटा संरक्षण हेतु भर्ती प्रकोष्ठ